छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

रिट याचिका (एस) क्रमांक 5821/2009

भैरव प्रसाद मिश्रा

-बनाम-

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय हेतु सूचीबद्ध किया जाए: 07.12.2009

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर</u>

<u>रिट याचिका (एस) क्रमांक 5821/2009</u>

याचिकाकर्ता **भैरव प्रसाद मिश्रा**

-बनाम-

उत्तरवादीगण **छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य**

एकल पीठ: माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित: श्री एच.एस. अहुलवालिया, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता।

श्री पी.के. भादुड़ी, राज्य की ओर से पैनल अधिवक्ता।

<u>आदेश</u>

(7 दिसंबर, 2009)

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री द्वारा पारित:

1. इस याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता उत्तरवादी-प्राधिकारियों को यह निर्देश/रिट जारी करने की मांग करता है कि वे याचिकाकर्ता को वर्तमान पदस्थापना स्थल से सहायक उप निरीक्षक पुलिस के पद पर पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए कार्यमुक्त करें और आगे

याचिकाकर्ता की पदोन्नति की तिथि से सहायक उप निरीक्षक के पद पर उसकी वरिष्ठता को सभी आनुषंगिक लाभों के साथ बनाए रखें।

2. याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत निर्विवाद तथ्य, संक्षेप में, यह हैं कि याचिकाकर्ता पुलिस विभाग में प्रधान आरक्षक के रूप में कार्यरत रहते हुए दिनांक 2-1-2009 को सहायक उप निरीक्षक पुलिस के पद पर पदोन्नत किया गया था और दिनांक 3-1-2009 को रायगढ़ में पदस्थ किया गया था (अनुलग्नक - पी/2)। याचिकाकर्ता को दिनांक 2-1-2009 और 3-1-2009 के आदेश के अनुसरण में रायगढ़ में सहायक उप निरीक्षक के पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए कार्यमुक्त नहीं किया गया था। तत्पश्चात, याचिकाकर्ता ने दिनांक 19-1-2009 (अनुलग्नक - पी/3) को पुलिस महानिरीक्षक को एक अभ्यावेदन दिया, जिसमें याचिकाकर्ता को प्रधान आरक्षक के पद से कार्यमुक्त करके सहायक उप निरीक्षक के रूप में नए पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. इससे पूर्व याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की थी, जिसका क्रमांक डब्ल्यूपी (एस) संख्या 2541 सन 2009 (भैरव प्रसाद मिश्रा बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य) था। दिनांक 15-5-2009 के आदेश (अनुलग्नक - पी/4) द्वारा इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता को एक नया अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया और उत्तरवादी क्रमांक 4 को कानून के अनुसार उसे निर्णित करने का निर्देश दिया गया। उक्त अभ्यावेदन के अनुसरण में, उत्तरवादी क्रमांक 4 ने दिनांक 28-5-2009 के आदेश (अनुलग्नक - पी/1) द्वारा याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध अपराध क्रमांक

108/2002 में भारतीय दंड संहिता की धारा 298, 153, 355 और 504 के प्रावधानों के तहत एक मामला दर्ज किया गया था। जांच के बाद, मामले को बंद करने के लिए एक आवेदन किया गया था जिसमें मामले की पुनर्जांच का निर्देश दिया गया था। पुनर्जांच के बाद, दिनांक 2-3-2009 को बिलासपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष मामले को बंद करने के लिए फिर से एक आवेदन किया गया था। चूंकि मामले पर कोई आदेश पारित नहीं हुआ था, इसलिए याचिकाकर्ता को प्रधान आरक्षक के पद से सहायक उप निरीक्षक पुलिस के पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए कार्यमुक्त नहीं किया गया था। उत्तरवादी प्राधिकारियों की उपरोक्त कार्रवाई से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने उपरोक्त अनुतोषों की मांग करते हुए वर्तमान रिट याचिका दायर की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता, श्री अहुलवालिया ने तर्क प्रस्तुत किया कि पुलिस थाना लोरमी में याचिकाकर्ता के विरुद्ध अपराध क्रमांक 108/2002 के तहत आपराधिक कार्यवाही दर्ज की गई थी। जांच के बाद दिनांक 24-9-2007 को मामले को बंद करने के लिए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। हालांकि, विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मामले की पुनर्जांच का निर्देश दिया और पुनर्जांच के बाद मामले को फिर से बंद करने के लिए प्रस्तुत किया गया। दिनांक 6-5-2009 को ख़ात्मा प्रतिवेदन न्यायिक मजिस्ट्रेट, लोरमी को हस्तांतरित की गई। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 (संक्षेप में "नियम, 2003") के प्रावधानों के तहत, आपराधिक मामले की लंबितता को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि चालान दायर होने के बाद, मामले को किसी भी न्यायालय के समक्ष लंबित माना जा सकता है। वर्तमान मामले में चूंकि कोई चालान

दायर नहीं किया गया था और मामला समापन के चरण में है, इसलिए इसे किसी भी न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता के विरुद्ध आपराधिक मामला लंबित नहीं माना जा सकता है।

5. श्री अहुलवालिया ने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि पुलिस महानिरीक्षक ने पुलिस अधीक्षक को संबोधित अपने दिनांक 19-1-2009 के संसूचना (अनुलग्नक - पी/6) में उल्लेख किया है कि अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), कोटा ने सूचित किया है कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध मामला लंबित था और तदनुसार, उत्तरवादी क्रमांक 4 को उचित कदम उठाने का निर्देश दिया गया था। उत्तरवादी क्रमांक 3 ने पुनः दिनांक 1-5-2009 के संसूचना (अनुलग्नक - पी/7) द्वारा उत्तरवादी क्रमांक 4 को इस तथ्य के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया कि जब अन्य दो सह-अभियुक्त व्यक्तियों को पदोन्नत किया गया है, तो याचिकाकर्ता को पदोन्नत पद, अर्थात सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए कार्यमुक्त क्यों नहीं किया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि चूंकि किसी भी न्यायालय में याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई आपराधिक कार्यवाही लंबित नहीं है, इसलिए याचिकाकर्ता को प्रधान आरक्षक के पद से पदोन्नत पद, अर्थात सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए कार्यमुक्त न करने का कोई कारण नहीं है। इस प्रकार, याचिका स्वीकार की जा सकती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान पैनल अधिवक्ता, श्री भादुड़ी ने तर्क प्रस्तुत किया कि उत्तरवादी क्रमांक 4 ने पहले ही दिनांक 3-11-2009 के आदेश (अनुलग्नक – आर/1) द्वारा याचिकाकर्ता को रायगढ़ में सहायक उप निरीक्षक पुलिस के पदोन्नत पद पर

कार्यभार ग्रहण करने के लिए कार्यमुक्त कर दिया है। इस प्रकार, याचिका निष्फल हो गई है और इसे निष्फल होने के कारण खारिज किया जा सकता है।

7. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना, अभिवचनों और संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया।

8. नियम, 2003 में आपराधिक मामले की लंबितता को परिभाषित करने का कोई प्रावधान नहीं है, जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है। याचिकाकर्ता ने एक पुस्तिका पर भरोसा किया है जिसमें यह देखा गया था कि एक ऐसे मामले में सीलबंद लिफाफा प्रक्रिया अपनाई जाएगी जिसमें अनुशासनात्मक कार्यवाही में आरोप पत्र जारी किया गया हो या आपराधिक मामला लंबित हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. अगला प्रश्न यह है कि क्या याचिकाकर्ता पदोन्नति की तिथि से या कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वेतन के बकाया और अन्य लाभों का हकदार है। यह कानून का सुस्थापित सिद्धांत है कि एक कर्मचारी पद पर वास्तविक कार्य प्रदर्शन के लिए मजदूरी का हकदार होता है। इस प्रकार, दिनांक 3-1-2009 से 3-11-2009 तक, जब तक उसे कार्यमुक्त नहीं किया गया था, याचिकाकर्ता ने सहायक उप निरीक्षक के रूप में कार्य नहीं किया है। इसलिए, याचिकाकर्ता उक्त अवधि के लिए किसी भी मजदूरी या भत्ते का हकदार नहीं है। जहां तक याचिकाकर्ता की वरिष्ठता का संबंध है, वह पदोन्नति आदेश की तिथि से काल्पनिक आधार पर वरिष्ठता का

हकदार हो सकता है, क्योंकि उसे पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए कार्यमुक्त नहीं किया गया था।

10. भारत संघ, आदि बनाम के.वी. जानकीरामन, आदि[1] में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की:

> "6....पहले प्रश्न पर, अर्थात्, सीलबंद लिफाफा प्रक्रिया के प्रयोजनों के लिए अनुशासनात्मक/आपराधिक कार्यवाही कब शुरू हुई मानी जा सकती है, न्यायाधिकरण की पूर्ण पीठ ने यह माना है कि यह तभी होता है जब किसी कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही में आरोप-मेमो या आपराधिक अभियोजन में आरोप-पत्र जारी किया जाता है, तभी यह कहा जा सकता है कि विभागीय कार्यवाही/आपराधिक अभियोजन कर्मचारी के खिलाफ शुरू किया गया है। सीलबंद लिफाफा प्रक्रिया का सहारा केवल आरोप-मेमो/आरोप-पत्र जारी होने के बाद ही लिया जाना चाहिए। उस चरण से पहले प्रारंभिक जांच की लंबितता अधिकारियों को सीलबंद लिफाफा प्रक्रिया अपनाने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। हम इस बिंदु पर न्यायाधिकरण से सहमत हैं....."

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने द कमिश्नर, कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड बनाम सी. मुद्दैया[2] में निम्नानुसार टिप्पणी की:

---

[1] एआईआर 1991 एससी 2010

[2] एआईआर 2007 एससी 3100

"32.....हम सचेत और जागरूक हैं कि वैधानिक प्रावधान के अभाव में भी, सामान्य नियम 'काम नहीं, वेतन नहीं' है। हालांकि, उपयुक्त मामलों में, एक विधि न्यायालय सभी तथ्यों को उनकी समग्रता में ध्यान में रख सकता है और कानून के अनुरूप एक उपयुक्त आदेश पारित कर सकता है। न्यायालय, किसी दिए गए मामले में, यह मान सकता है कि व्यक्ति काम करने को इच्छुक था लेकिन उसे अवैध और गैरकानूनी रूप से ऐसा करने की अनुमति नहीं दी गई थी। न्यायालय परिस्थितियों में, प्राधिकारी को उसे 'मानो उसने काम किया हो' मानते हुए सभी लाभ प्रदान करने का निर्देश दे सकता है। इसलिए, यह कानून के एक पूर्ण प्रस्ताव के रूप में तर्क नहीं दिया जा सकता है कि एक विधि न्यायालय द्वारा आनुषंगिक लाभों के भुगतान का कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता है और यदि ऐसे निर्देश एक न्यायालय द्वारा जारी किए जाते हैं, तो प्राधिकारी उन्हें अनदेखा कर सकता है, भले ही उन्हें देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से पुष्टि की गई हो (जैसा कि वर्तमान मामले में किया गया है)। इसलिए, अपीलकर्ता-बोर्ड का यह निराधार तर्क सारहीन है और इसे खारिज किया जाना चाहिए।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. हरियाणा राज्य और अन्य बनाम ओ.पी. गुप्ता और अन्य[3] में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि परिणामस्वरूप, वेतन के बकाया का भुगतान उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि, स्वीकार्य रूप से, उत्तरदातगण ने उस अवधि के दौरान काम नहीं किया था।

[3] (1996) 7 एससीसी 533

13. ए.के. सौमिनी बनाम स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर और अन्य[4] में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की:

> "8. हरियाणा राज्य बनाम ओ.पी. गुप्ता में इस न्यायालय को वरिष्ठता से संबंधित विवाद का निर्णय करते हुए बकाया के दावे से निपटने का अवसर मिला था। इस न्यायालय ने संबंधित विभाग को असंगत प्रशासनिक निर्देशों को अनदेखा करते हुए नियमों के अनुसार एक नई वरिष्ठता सूची तैयार करने का निर्देश दिया और इसके अनुपालन में एक नई वरिष्ठता सूची तैयार की गई और पात्र व्यक्तियों को विभाग द्वारा एक काल्पनिक तिथि से नाममात्र पदोन्नति भी दी गई। जब ऐसे पदोन्नत व्यक्तियों ने वेतन के बकाया के भुगतान का भी दावा किया, तो इस न्यायालय ने 'काम नहीं तो वेतन नहीं' के सिद्धांत को लागू करते हुए दावे को खारिज कर दिया और उच्च न्यायालय के उन आदेशों को रद्द कर दिया, जो ऐसे दावों को अवैध मानते थे, इस कारण से कि पदोन्नत व्यक्तियों ने पदोन्नत क्षमताओं में उस अवधि के लिए काम नहीं किया था। ऐसे निष्कर्षों पर पहुंचने में इस न्यायालय ने पलुरु रामकृष्णाया बनाम भारत संघ और वीरेंद्र कुमार, जी.एम., एन. रेलवे बनाम अविनाश चंद्र चड्ढा में प्रकाशित किए गए पिछले निर्णयों का अनुसरण किया।"

14. भारत संघ बनाम बी.एम. झा[5] में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की:

[4] (2003) 7 एससीसी 238

[5] (2007) 11 एससीसी 632

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"5. हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि जब किसी पदधारी को भूतलक्षी पदोन्नति दी जाती है, तो सामान्य तौर पर वह उससे उत्पन्न होने वाले सभी लाभों का हकदार होता है। हालांकि, इस न्यायालय ने हरियाणा राज्य बनाम ओ.पी. गुप्ता में और ए.के. सौमिनी बनाम स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर में भी इसी मत का पालन करते हुए यह राय व्यक्त की है कि भूतलक्षी तिथि से नाममात्र पदोन्नति के मामले में भी, यह कर्मचारी को वेतन के बकाया का हकदार नहीं बना सकता है क्योंकि पदधारी ने पदोन्नत पद पर काम नहीं किया है। ये निर्णय 'काम नहीं तो वेतन नहीं' के सिद्धांत पर आधारित थे। आक्षेपित निर्णय में विद्वान खंडपीठ ने आंध्र प्रदेश राज्य बनाम के.वी.एल. नरसिम्हा राव पर भरोसा किया है। हमारे विचार में, उच्च न्यायालय ने उस मामले की विस्तृत जांच नहीं की। वास्तव में, उक्त निर्णय में वेतन के अनुदान के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए मत को इस न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था। इसलिए, हमारा मत है कि उपरोक्त मामलों में इस न्यायालय द्वारा अपनाए गए सुसंगत दृष्टिकोण के आलोक में, भूतलक्षी प्रभाव से पदोन्नति के मामले में 'काम नहीं तो वेतन नहीं' के सिद्धांत के मद्देनजर उत्तरवादी को वेतन के बकाया का अनुदान नहीं किया जा सकता है...."

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. बाबू लाल बनाम हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड[6] में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त दृष्टिकोण को दोहराया।

16. वर्तमान मामले के तथ्यों पर कानून के सुस्थापित सिद्धांतों को लागू करते हुए, यह स्पष्ट है कि चालान दायर नहीं किया गया था और, इस प्रकार, न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई मामला लंबित नहीं था जिसमें ख़ात्मा प्रतिवेदन दायर की गई थी। ख़ात्मा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने पर पुनर्जांच का निर्देश दिया गया था। पुनर्जांच के बाद, समापन रिपोर्ट फिर से दायर की गई जिस पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया था। इस बीच, याचिकाकर्ता को प्रधान आरक्षक के पद से सहायक उप निरीक्षक के पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए कार्यमुक्त कर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने 3-1-2009 से 3-11-2009 की अवधि के लिए पदोन्नत पद पर वास्तव में काम नहीं किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. उपरोक्त के मद्देनजर, याचिकाकर्ता दिनांक 3-1-2009 से 3-11-2009 की अवधि के लिए किसी भी मजदूरी या भत्ते का हकदार नहीं है। जहां तक याचिकाकर्ता की वरिष्ठता का संबंध है, वह पदोन्नति आदेश की तिथि से काल्पनिक आधार पर वरिष्ठता का हकदार है, क्योंकि याचिकाकर्ता की कोई गलती न होने पर भी उसे प्रधान आरक्षक के पद से सहायक उप निरीक्षक पुलिस के पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए कार्यमुक्त नहीं किया गया था।

18. परिणामस्वरूप, रिट याचिका उपरोक्त सीमा तक स्वीकार की जाती है। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

---

[6] (2009) 4 एससीसी 287

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Adv. Tara Chandra Chouhan

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur